न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी — अरूण कुमार अग्रवाल-1

R.J.S.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या - 66/2018

सी.आई.एस.नंबर - 66/2018

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, बांसवाड़ा (राज0)

बनाम

1- साबीर ऊर्फ नाया मंसुरी पुत्र अनवर मंसुरी, उम्र 23 वर्ष, निवासी आंबावाडी सूरजपोल के पास बांसवाड़ा, पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा, जिला बांसवाड़ा (राज.) (मफरूर दिनांक 17.10.2024)

2- परवेज ऊर्फ सोनू पुत्र शरीफ खान, उम्र 26 वर्ष, निवासी राजतलाब बांसवाड़ा, पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

-अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 120बी,302,302/34,201,201/34, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 494/2017 पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा,जिला बांसवाड़ा (राज.)</u>

उपस्थित :

लोक अभियोजक श्री योगेश सोमपुरा : राज्य की ओर से

अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राव : अभियुक्त की ओर से

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 08-11-2024</u>

1- थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा ने अभियुक्तगण साबीर ऊर्फ नाया मंसुरी पुत्र अनवर मंसुरी, निवासी आंबावाडी सूरजपोल के पास बांसवाड़ा तथा परवेज ऊर्फ सोनू पुत्र शरीफ खान, निवासी राजतलाब बांसवाड़ा के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 302,201/34, भारतीय दण्ड में मामला प्रमाणित पाने पर आरोप-पत्र विद्वान अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा के न्यायालय में दिनांक 30.04.2018 को प्रस्तुत किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त धाराओं में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनना पाने पर प्रसंज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज कर प्रकरण में बहस कमिटल सुनी जाकर प्रकरण सेशन विचारण होने के कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2018 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया । तत्पश्चात इस न्यायालय में दिनांक 11.05.2018 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया

जाकर सेशन प्रकरण संख्या 66/2018 अंकित किया गया । यह प्रकरण इस न्यायालय से दिनांक 04.07.2018 को विधि अनुसार निस्तारण हेतु अपर सेशन न्यायाधीश, बांसवाडा के न्यायालय में अंतरित किया गया जहां पर दिनांक 11.07.2018 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। कालान्तर में यह प्रकरण इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 85 दिनांक 26.05.2023 की पालना में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, बांसवाडा के यहां से दिनांक 07.06.2023 को अन्तरित होकर इस न्यायालय में 01.07.2023 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2- अभियुक्त **साबिर ऊर्फ नाया** को आदेशिका दिनांक 17.10.2024 के द्वारा मफरूर घोषित किया जाकर उसे स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किये जाने के आदेश दिये गये। ऐसे में प्रकरण में अभियुक्त **परवेज ऊर्फ सोनु पुत्र शरीफ खान** की हद तक ही निर्णय पारित किया जा रहा है।

3- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.11.2017 को परिवादी रामलाल डिन्डोर पुत्र खातुराम निवासी सिंगपुरा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कडेलिया ने बमुकाम समाईमाता घाटी पर लक्ष्मीनारायण सहायक उप निरीक्षक प्रभारी चौकी सूरजपोल को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 04.11.2017 को रास्ते जाते हुए लोगों ने उसे फोन कर बताया कि समाईमाता घाटी के नीचे डामर रोड के साईड में काफी बदबु आ रही हैए जिस पर उन्होंने जाकर देखा तो एक अज्ञात अधजली लाश पडी हुई है जिस पर उसने व उपसरपंच लक्ष्मण मईडा ने आकर देखा तो अधजली लाश सडी गली है जो मामला अकाल अचानक मौत का होना पाया जाता है, कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश है .... इत्यादि । उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा द्वारा मर्ग संख्या 26/2017 धारा 174, दण्ड प्रक्रिया संहिता में दर्ज कर जांच लक्ष्मीनारायण को सौपी जाने पर उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, घटनास्थल एवं अज्ञात मृतका (महिला) की फोटोग्राफी करवाई गई तथा पंचायतनामा लाश मुर्तिब किया गया एवं मृतका की लाश का मोबाईल फोरेन्सिक युनिट बांसवाडा से मुआयना करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं मृतका की हाथ की ऊँगली में से एक छोटी चाबी मय रिंग छल्ले की तथा एक लेंगी पैरों में पहनी हुई को वजह सबूत कब्जे पुलिस ली गई एवं प्रार्थी रामलाल डिण्डोर, लक्ष्मण मईडा के कथन लिये गये। अज्ञात महिला की पहचान हेतु समस्त थानाधिकारी राजस्थान को वितन्तु संदेश/ई-मेल दिया गया तथा समाचार पत्रों में भी अज्ञात मृतका के बारे में प्रकाशन करवाया गया। अज्ञात लाश का पोस्ट मार्टम करवाया गया बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया तथा मृत्यु के कारण के बारे में एम.ओ.

से राय ली गई तो राय में अंकित किया गया कि मृत्यु का कारण दम घुटना था क्योंकि उसकी जुबान मुँह से निकली हुई थी जिसका कारण गर्दन पर दबाव की वजह था। सम्पूर्ण जांच से मामला किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा अज्ञात महिला की हत्या कर साक्ष्य को छुपाने की नीयत से लाश को उक्त स्थान पर लाकर जलाना पाया गया है जो कि धारा 302,201, भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बनना प्रथमदृष्टया पाया जाता है। रिपोर्ट वास्ते प्रकरण दर्ज हेतु श्रीमान की सेवा में पेश है। इस पर पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा द्वारा प्रथम सूचना संख्या 494/2017 धारा 302, 201, भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान संभावित परिजनों की तलाश की तो दावेदार मां के रूप में श्रीमती शांता बाई चिकलीगर एवं भाई हितेश चिकलीगर के रूप में दिनांक 27.11.2017 को उपस्थित आये जिस पर इनका डीएनए नियमानुसार लिवाया गया और अज्ञात लाश के डीएनए से परीक्षण कराने बाबत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जमा कराया गया। मामले में डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त शव की पहचान श्रीमती संतोष पुत्री जगदीश, उम्र 30 वर्ष, निवासी त्रिपुरा कॉलोनी अरावली कॉलेज के पीछे बांसवाडा के रूप में हुई। पहचान होने के साथ जाहिर आया कि मृतका का आखिरी बार परवेज पुत्र शरीफ खां, निवासी राजतलाब बांसवाडा से सम्पर्क रहा है। परवेज के द्वारा उक्त संतोष से निकाह करने के बाद एक पुत्र का भी जन्म हुआ। दोनों में मनमुटाव की जानकारी सामने आई। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण साबीर ऊर्फ नाया मंसुरी तथा परवेज ऊर्फ सोनू पुत्र शरीफ खान के विरूद्ध धारा 302, 201, भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा के न्यायालय में दिनांक 30.04.2018 को आरोप पत्र पेश किया गया जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 201, भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं दिनांक 19.01.2021 को प्रकरण में बहस कमिटल सुनी जाकर प्रकरण अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य होने से पत्रावली कमिट होकर इस न्यायालय में दिनांक 11.05.2018 को प्राप्त हुई।

4- अनुसंधान के दौरान संकलित की गई साक्ष्य के आधार पर दिनांक 01.08.2018 को अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 120बी, 302, 302 सपठित धारा 34, 201,201सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता के आरोप विरचित कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्त ने आरोप सुन समझ कर इंकार किया तथा प्रतिरक्षा चाही।

5- विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहान पी.डब्ल्यू.01 किशोर , पी.डब्ल्यू.02 लक्ष्मीनारायण, पी.डब्ल्यू.03 जाकीर ऊर्फ मुन्शी, पी.डब्ल्यू.04 नारायण पुत्र दीपाजी, पी.डब्ल्यू.05 दीपक व्यास, पी.डब्ल्यू.06 सुन्दर, पी.डब्ल्यू.07

रामलाल, पी.डब्ल्यू. 08 लक्ष्मण, पी.डब्ल्यू.09 छगनलाल, पी.डब्ल्यू.10 विनोद कुमार भट्ट, पी.डब्ल्यू.11 श्रीमती रेशम , पी.डब्ल्यू.12 संतोष , पी.डब्ल्यू.13 श्रीमती शांता, पी.डब्ल्यू.14 हितेश, पी.डब्ल्यू.15 अली असगर, पी.डब्ल्यू.16 इलियास, पी.डब्ल्यू.17 अब्दुल वहाब, पी.डब्ल्यू.18 निलेश, पी.डब्ल्यू.19 फिरोज, पी.डब्ल्यू.20 मोहम्मद रफीक, पी.डब्ल्यू.21 लक्ष्मणसिंह, पी.डब्ल्यू.22 श्रीमती जुली, पी.डब्ल्यू.23 फेजान अली, पी.डब्ल्यू.24 इकबाल हुसैन, पी.डब्ल्यू.25 रमेशचन्द्र, पी.डब्ल्यू.26डॉ. रवि उपाध्याय, पी.डब्ल्यू.27 तुलसीराम, पी.डब्ल्यू.28 बलवन्तसिंह, पी.डब्ल्यू.29 गोविन्दसिंह राज पुरोहित तथा पी.डब्ल्यू.30 श्रीमती राधा के बयान लेखबद्ध करवाए गए।

6- अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-01, नक्शा मौका प्रदर्श पी-02, फर्द जप्ती छोटी चाबी मय रिंग का छल्ला व एक फटी लेगी प्रदर्श पी-03, पंचायतनामा लाश मृतका प्रदर्श पी-04, एम.ओ. को अज्ञात लाश के पोस्ट मार्टम हेतु थानाधिकारी द्वारा जारी तहरीर प्रदर्श पी-05, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-06, प्रदर्श पी-07 एम.ओ. को अज्ञात लाश के पोस्ट मार्टम हेतु थानाधिकारी द्वारा जारी तहरीर, लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-08, लक्ष्मीनारायण सहायक उप निरीक्षक द्वारा मर्ग जांच उपरान्त धारा 302,201, भा.द.सं. में प्रकरण दर्ज करने बाबत दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-9, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-10, गवाह जाकीर ऊर्फ मुन्सी के धारा 161, दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी-11, गवाह नारायण के धारा 161, दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी-12, फर्द बरामदगी मशरूका माल द्वारा आरोपी परवेज ऊर्फ सोनू प्रदर्श पी-13, फर्द तस्दीक मौका द्वारा आरोपी परवेज ऊर्फ सोनु प्रदर्श पी-14, थानाधिकारी कोतवाली बांसवाडा द्वारा आयुक्त, नगरपालिका, बांसवाडा को लाश के अंतिम संस्कार हेतु जारी पत्र प्रदर्श पी-16, गवाह हितेश के धारा 161, दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी-18, सम्पत्ति अधिग्रहण प्रपत्र स्टाम्प नं.304272 प्रदर्श पी-16, शपथ पत्र प्रदर्श पी-17, गवाह ईलियास ऊर्फ रियाज के धारा 161, दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी-18, नोटरी के रजिस्टर की आंशिक प्रति प्रदर्श पी-19ए, फर्द जप्ती टवेरा आर.जे. 14 यूबी 8125 प्रदर्श पी-20, नोटरी पब्लिक के रजिस्टर की आंशिक प्रति प्रदर्श पी-21, गवाह श्रीमती जुली के धारा 161, दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी-22, फोटो लाश मृतका श्रीमती संतोष ऊर्फ अनिता प्रदर्श पी-21 से प्रदर्श पी-28, फोटो का बिल प्रदर्श पी-29, फोटो जप्त वाहन प्रदर्श पी-30 से प्रदर्श पी-38, थानाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा को प्रकरण में जप्त नमूनों को जांच हेतु भेजने का पत्र प्रदर्श पी-38, पुलिस अधीक्षक,बांसवाड़ा द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला को नमूनों की एफ.एस.एल. जांच हेतु जारी पत्र प्रदर्श पी-39,

थानाधिकारी कोतवाली बांसवाडा द्वारा श्रीमती शांता को जारी पत्र प्रदर्श पी-40, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नमूनों के जमा की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-41, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-42,फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त साबीर ऊर्फ नायर मंसुरी प्रदर्श पी-43, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त परवेज ऊर्फ सोनू प्रदर्श पी-44, अभियुक्त परवेज ऊर्फ सोनू की धारा 27, साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-45, अभियुक्त साबीर ऊर्फ नाया की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-46, अभियुक्त परवेज ऊर्फ सोनू की धारा 27, साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-47 व प्रदर्श पी-48, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा द्वारा मेडिकल युनिट प्रभारी, फोरेन्सिक साईन्स युनिट को जारी तहरीर प्रदर्श पी-49, मोबाईल फोरेंसिक साइंस यूनिट, बांसवाडा द्वारा थानाधिकारी कोतवाली बांसवाडा को टवेरा वाहन के निरीक्षण बाबत जारी पत्र प्रदर्श पी-50, वाहन के फोटो प्रदर्श पी-51 से प्रदर्श पी-55, मोबाईल फोरेंसिक साइंस यूनिट, बांसवाडा द्वारा थानाधिकारी कोतवाली बांसवाडा को घटनास्थल के निरीक्षण व वहां से लिये गये फोटो भेजने बाबत जारी पत्र प्रदर्श पी-56, मोबाईल फोरेंसिक साइंस यूनिट, बांसवाडा का फर्द निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी-57 तथा मृतका के फोटो प्रदर्श पी- प्रदर्श पी-58 से प्रदर्श पी-60 को साक्ष्य के दौरान पेश कर प्रदर्शित करवाया गया ।

7- अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त परवेज खान के बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313, दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 01.06.2024 को लेखबद्ध किए गए जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य का गलत होना,जानकारी नहीं होना तथा स्वयं का निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना प्रकट किया। बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा, प्रलेखीय साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

8- अभियोजन की प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू.01 किशोर ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि एक अज्ञात महिला की लाश महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्ट मार्टम के बाद अंतिम संस्कार हेतु नगरपरिषद को सुपुर्द की थी। लाश सुपुर्दगी प्रदर्श पी-01 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

9- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उसके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-01 उसे पढकर नहीं सुनाई गई थी। उसने पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

10- गवाह पी.डब्ल्यू.02 लक्ष्मीनारायण एएसआई चौकी सुरजपोल ने अपने सशपथ बयानो में इस आशय का कथन किया है कि दिनांक 04.11.2017 को ग्राम पंचायत

कडेलिया के सरपंच रामलाल डिंडोर ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दी कि समाईमाता घाटा के नीचे डामर रोड के साईड में नीचे एक अज्ञात अर्धजली लाश पडी है जिस पर मौके पर पहुँच घटनास्थल का नक्शा मोका प्रदर्श पी-02 बनाया, फर्द जप्ती छोटी चाबी मय रिंग का छल्ला व एक फटी लेगी को जप्त कर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-03 बनाई, पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी-04 बनाया जिन पर उसके, मौतबिरान व रामलाल के हस्ताक्षर हैं। गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लिये। एमओ को अज्ञात लाश का पोस्ट मार्टम करवाने हेतु तहरीर जारी की जो प्रदर्श पी-05, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है जिन्हें शामिल पत्रावली किया। एमओ को एक तहरीर जारी की गई जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट करने हेतु लिखा जो प्रदर्श पी-07 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। बाद पोस्ट मार्टम अज्ञात लाश नगरपरिषद बांसवाडा को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द की जिसकी फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर है। मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 पर उसके, रामलाल के हस्ताक्षर व थाने का पृष्ठांकन है। एफआईआर टाईपशुदा प्रदर्श पी-09 पर उसके हस्ताक्षर व थाने का पृष्ठांकन है जिसकी चॉक एफ.आई.आर.प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। एफआईआर एवं मर्ग कार्यवाही रिपोर्ट सहित थाना कोतवाली को सुपुर्द की।

11- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि लाश की सूचना मिलने से लेकर दाह संस्कार तक की सारी जांच उसके द्वारा की गई तथा उसके पश्चात जांच थानाधिकारी गोविन्दसिंह को दी। गवाह ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा लाश मिलने के 03 दिन तक अखबारों एवं इंटरनेट के जरिये उपरोक्त लाश की शिनाख्तगी के लिए सूचना जारी कर दी थी जिसमें उसकी कदकाठी के बारे में जानकारी भी दी थी व फोटो भी प्रकाशित करवाये थे। पोस्ट मार्टम कराने से दाह संस्कार तक कोई भी शिनाख्तगी के लिए नहीं आया।

12- गवाह पी.डब्ल्यू.03 जाकीर ऊर्फ मुंशी ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि उसने परवेज को किराये का मकान नहीं दिया। मृतका की बहन को मकान किराये पर दिया था। उसे घटना के बारे में कुछ पता नहीं। मकान पर कौन आया व कौन गया उसे नहीं पता ।

13- यह गवाह पक्षद्रोही रहा है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह ने स्वीकार किया कि नई आबादी के पास जाकीर बोहरा का मकान बना हुआ है जिसके ऊपर वाले माले में 06 कमरे हैं जिसे किराये पर देने के लिए जाकीर बोहरा ने कह रखा था। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि उसने सोनु ऊर्फ परवेज जो टवेरा गाडी चलता है को कमरा किराये 2500/- रूपये में दिया हो। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि परवेज ने उसे बताया हो कि उसकी नई

नई शादी हुई है इस कारण कमरा चाहिए। उसे नहीं पता कि परवेज के साथ कोई औरत आई हो। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि परवेज व उस औरत के बीच बोलचाल हुई हो। गवाह को पुलिस बयान प्रदर्श पी-11 का भाग ए से बी सुनाये जाने पर गवाह ने इसे लिखवाये जाने से इंकार किया। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि वह साबिर एवं परवेज को जानता हो।

14- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने प्रकट किया कि उसने मृतका संतोष की बहन के कहने पर मकान दिया था। गवाह ने स्वीकार किया कि संतोष उपरोक्त मकान में 05-06 महिने रही परन्तु परवेज के नाम के किसी भी व्यक्ति को उसने वहां पर आते-जाते नहीं देखा। गवाह ने स्वीकार किया कि संतोष के घर कई आदमी आते थे व पैसों को लेकर झगडा करते व देख लेने की धमकियां देते। गवाह ने प्रकट किया कि

15- गवाह पी.डब्ल्यू.04 नारायणलाल ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह जाकीर के मकान में किराये से रहता था जिसका किराया जाकीर ऊर्फ मुन्शी को देता था। उसके कमरे के पास एक लडकी रहती थी जिसका नाम संतोष था । उसके कमरे पर लोग आते-जाते रहते थे किन्तु कौन लोग आते थे उसे नहीं पता। लोग उसके घर पर चिल्लाया करते थे लेकिन ऐसा क्यों करते थे उसे नहीं पता। वह इसके अलावा ओर कुछ नहीं जानता।

16- यह गवाह पक्षद्रोही रहा है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की कि संतोष के कमरे में क्या-क्या सामान था। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि परवेज नाम के किसी व्यक्ति का वहां आना जाना था। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि संतोष ने उसे कहा हो कि परवेज ने उसे औरत बनाकर रखी है एवं अब वह नई शादी करने वाला है। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि वह रात करीब 1.00 बजे कमरे पर आया हो तब परवेज मुसलमान के साथ एक आदमी और कमरे के नीचे टवेरा गाडी में बैठा हो तथा संतोष के कमरे में आकर सारा सामान टवेरा गाडी में रख संतोष को गाडी में बैठाकर ले गये हो। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि बाद में उसने सुना हो कि संतोष को मार दिया हो। गवाह को पुलिस बयान प्रदर्श पी-12 का हिस्सा ए से बी पढकर सुनाये जाने पर उसके द्वारा लिखवाये जाने से इंकार किया। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि अभियुक्त परवेज व साबिर को जानता हो तथा उन्हें बचाने के लिए न्यायालय में झूठे बयान दे रहा हो।

17- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि संतोष के कमरे पर कई सारे लोग आते थे व लडाई कर जान से मारने की धमकी देते थे तथा वहां पर बहुत से अलग-अलग आदमी रात में रूकते थे जो रात में लडाईया कर उसे

मारने की धमकी देते थे। वह इस कारण कहता है कि वह औरत उसके कमरे के पास में ही रहती थी।

18- गवाह पी.डब्ल्यू.05 दीपक व्यास ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी। उसकी गाडी का एक्सीडेन्ट हो जाने से वह थाने में रिपोर्ट करवाने के लिए गया था तो पुलिस ने उसके हस्ताक्षर कोरे कागज पर करवाये थे। इसके अलावा और कुछ नहीं जानता है।

19- यह गवाह पक्षद्रोही रहा है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि दिनांक 16.02.2018 को लगभग 12.20 बजे पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त परवेज ऊर्फ सोनू ने बर्तन, घरेलू, सामान वगैरह बरामद करवाये हो तथा फर्द बनाई हो एवं वह मौके पर मौजूद हो तथा मौका तस्दीक बनाया हो। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-13 व फर्द तस्दीक मौका प्रदर्श पी-14 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

20- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-13 व प्रदर्श पी-14 पर उसके हस्ताक्षर कोरे कागज पर करवाये थे। गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिस उसे न तो लेकर गई, न ही बरामदगी करवाई थी तथा न ही नक्शा मौका उसके सामने बनाया।

21- गवाह पी.डब्ल्यू.06 सुन्दर ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी। वह इस प्रकरण के बारे में कुछ नहीं जानता। वह थाने में साफ सफाई करने के लिए गया था तो पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवा लिये।

22- यह गवाह पक्षद्रोही रहा है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि दिनांक 16.02.2018 को लगभग 12.20 बजे पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त परवेज ऊर्फ सोनू ने बर्तन, घरेलू, सामान वगैरह बरामद करवाये हो तथा फर्द बनाई हो एवं वह मौके पर मौजूद हो तथा मौका तस्दीक बनाया हो। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-13 व फर्द तस्दीक मौका प्रदर्श पी-14 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

23- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-13 व प्रदर्श पी-14 पर उसके हस्ताक्षर कोरे कागज पर करवाये थे। गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिस उसे कहीं भी लेकर नहीं गई तथा उसके सामने कोई बरामदगी नहीं की तथा नक्शा मौका नहीं बनाया।

24- गवाह पी.डब्ल्यू.07 रामलाल ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि घटना आज से 12 माह पूर्व दिन के 02-03 बजे की है। उसके पास किसी

व्यक्ति का फोन आया था कि समाईमाता घाटी पर बदबु आ रही है जिस पर वह मौके पर गया और गांव के लोग भी इकट्ठे हो गये थे और देखा कि मौके पर अज्ञात लाश पडी हुई थी। लाश स्त्री या पुरूष की हो तो उसे पता नहीं क्योंकि पहचानने लायक नहीं थी । पैर में लेगी बची हुई थी उसने पुलिस को सूचना दी थी तो पुलिस मौके पर आई थी। उसने लिखित रिपोर्ट पुलिस को दी थी जो प्रदर्श पी-08 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने लिखापढी कर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया तथा उसके सामने उएक चाबी, एक लेगी को जप्त किया जिसकी जप्ती प्रदर्श पी-03 तथा पंचायतनामा लाश पर उसके हस्ताक्षर हैं।

25- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की कि उसे किसने फोन किया था। गवाह ने स्वीकार किया कि लाश स्त्री या पुरूष की थी उसने नहीं पहचाना। गवाह ने स्वीकार किया कि बरामदगी क्या किया उसे नहीं पता पर पुलिस ने उसे बताया था कि उसने एक चाबी व लेगी जप्त की है। गवाह ने स्वीकार किया कि उपरोक्त फर्दों पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने उसे थाने पर बुलाकर करवाये थे तथा फर्दें पढकर नहीं सुनाई थी कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे।

26- गवाह पी.डब्ल्यू.08 लक्ष्मण ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि उसे रास्ते चलते हुए किसी व्यक्ति ने फोन किया था कि समाईमाता मंदीर के घाटी पर किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश पडी हुई है और बदबु आ रही है और मौके पर गांव के लोग भी इकट्ठे हो गये थे। लाश अधजली हुई थी व एक पैर में लेगी पहनी हुई थी और हाथ की उगली में एक छल्ला था। पुलिस ने लेबी व चाबी का छल्ला जप्त किया था। घटनास्थल का नक्शा मोका प्रदर्श पी-02 बनाया तथा पुलिस ने फर्द जप्ती बनाई जो प्रदर्श पी-03 है तथा पंचायतनामा लाश बनाया जो प्रदर्श पी-04 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

27- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की कि उसे किसने फोन किया था। गवाह ने स्वीकार किया कि लाश स्त्री या पुरूष की थी उसने नहीं पहचाना। गवाह ने स्वीकार किया कि बरामदगी का उसे पता नहीं। गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिस ने सभी फर्दों पर मौके पर हस्ताक्षर करवाये थे उनमें क्यालिखा था उसे नहीं पता। पुलिस ने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे।

28- गवाह पी.डब्ल्यू.09 छगनलाल ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि आज से करीब साल भर पहले की बात है लाश को समाईमाता घाटी पर देखी थी। पुलिस मौके पर आई थी और घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था

जो प्रदर्श पी-02 तथा पुलिस ने फर्द जप्ती बनाई थी जो प्रदर्श पी-03 है, पुलिस ने लाश का पंचनामा बनाया जो प्रदर्श पी-04 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

29- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने प्रकट किया कि गांव वालों द्वारा फोन कर मौके पर बुलाया । गवाह ने स्वीकार किया कि लाश स्त्री या पुरूष की थी उसने नहीं पहचाना। गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके सामने कोई चीज जप्त नहीं की। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके कुछ हस्ताक्षर मौके पर व कुछ मोर्चरी में करवाये थे। गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर कोरे कागजों पर करवाये थे। पुलिस ने उक्त फर्दें पढकर नहीं सुनाई थी।

30- गवाह पी.डब्ल्यू.10 विनोद कुमार भट्ट ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 06.11.2017 को नकर परिषद में स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी कोतवाली से एक रिपोर्ट नगर परिषद के आयुक्त महोदय को प्राप्त हुई थी जिसमें एक अज्ञात महिला की लाश का अंतिम संस्कार हेतु निवेदन किया गया था जिस पर आयुक्त ने उसे उक्त अज्ञात लाश की अंतिम संस्कार हेतु आदेश दिये थे जिस पर उसने अज्ञात महिला की लाश का अंतिम संस्कार करवाया था। थानाधिकारी की रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

31- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि लाश उसे पैक करके दी थी उसने लाश को नहीं देखा।

32- पी.डब्ल्यू.11 श्रीमती रेशम ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 06.11.2017 को थाना कोतवाली में आरक्षी के पद पर तैनात थी उस दिन महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा के मोर्चरी में एक अज्ञात लाश का पंचायतनामा लाश बनाया था जो प्रदर्श पी-04 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

33- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उसने लाश को नहीं देखा तथा आई.ओ. ने उसके हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे,स्वत: प्रकट किया कि मोर्चरी में उसके हस्ताक्षर करवाये थे।

34- गवाह पी.डब्ल्यू.12 संतोष ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि उसने आज से करीब डेढ साल पहले मार्चरी में एक महिला की लाश को देखा था उसका अंतिम संस्कार करने हेतु नगरपालिका को लाश सुपुर्द की थी फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

35- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने प्रकट किया कि उसे नहीं पता कि अज्ञात लाश पुरूष की थी या महिला की थी। जब वह लाश जला रहा था तब उसके पास दो पुलिस वाले व किशोर हजिजन थे।

36- गवाह पी.डब्ल्यू.13 श्रीमती शान्ता ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि उसके कुल 06 संतानों में 03 लडके विजय, हितेश व अनील व 03 लडकियां संतोष, अनीता व जुली है। संतोष की शादी बडौदा में पप्पु भाई से करवाई थी जिससे उसके दो संताने लडकियां उत्पन्न हुई। संतोष के पति पप्पु भाई की मृत्यु हो गई। जिस पर उसके परिवार वालों ने उसको निकाल दी तो वह उसके पास आकर 04-05 साल तक रही। उसका नातरा दिनेश के साथ सलुम्बर करवाया था दिनेश से संतोष के एक लडकी उत्पन्न हुई जिसका नाम ईशिका है तथा उसकी मासी अनीता के पास है। उसके बेटा बहु लक्ष्मी के ऊपर संतोष का फोन आया था कि संतोष का अपहरण परवेज ऊर्फ सोनी ने कर लिया है। वह उसके साथ क्या करता था उसे पता नहीं है। मरने के पहले दीपावली के बाद भाई दूज पर उसके बेटा बहु लक्ष्मी के पास आई थी। उसकी बहु ने ग्वारफली की सब्जी बनाई थी वह उसने खाई थी। संतोष लक्ष्मी को कहकर गई थी कि वह आये अथवा नहीं उसका भरोसा नहीं। उसके 04 माह 04 दिन बाद अखबार में आया कि संतोष मर गई है और पुलिस वाले उनके पास आये थे तथा पुलिस वालों ने उसका खून लिया था।

37- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उसकी बेटी संतोष उसके पति दिनेश सलुम्बर के वहां से भागकर आई और उसकी बेटी ईशिका को उसके घर पर रखकर चली गई। गवाह ने स्वीकार किया कि उसकी बेटी उसके घर सलुम्बर से भागकर आई थी उसके बाद उसकी मृत्यु की खबर तक उनके बीच में कोई संबंध एवं सम्पर्क नहीं रहा। गवाह ने स्वीकार किया कि उसकी बेटा बहु लक्ष्मी से बात हुई थी। यह बात सही है कि उसने अपने बयानों में पुलिस को यह बताया था कि परवेज व उसकी बेटी संतोष के बीच में साल भर से कोई संबंध नहीं है। यह सही है कि दोनों के साथ रहने की बात दीपावली पर वह उसके घर पर आई थी तब उसकी बहु को संतोष ने बताई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि उसका परिवार संतोष से बहुत ज्यादा खफा था क्योंकि उसने दूसरे धर्म के मुस्लिम लडके से शादी की थी। गवाह ने इस संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की कि उसकी लडकी को किसने मारा। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि समाज में अन्य धर्म के लडके के साथ शादी करने से समाज में उनकी इज्जत खराब करने की वजह से उन लोगों ने मिलकर संतोष को जला के मार दिया हो।

38- गवाह पी.डब्ल्यू.14 हितेष ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि वे कुल 06 भाई बहन है जिसमें वह,विजय व अनिल भाई तथा संतोष, अनीता व जुली बहने है। संतोष की शादी बडौदा में पप्पु भाई से करवाई थी जिसके दो संताने लडकियां उत्पन्न हुई। संतोष के पति पप्पु भाई की मृत्यु हो जाने से

उसके परिवार वालों ने उसको निकाल दी जो उनके पास आकर 4-5 साल रही। उसका नातरा दिनेश के साथ सलुम्बर करवाया था दिनेश से नातरा होने के बाद ईशिका का जन्म हुआ जो उसकी छोटी बहिन अनीता के पास है। संतोष सलुम्बर से बांसवाडा उनके पास आ गई। उनके घर पर संतोष रही। घर पर वह घर का ही काम करती थी। उनके घर में सभी अच्छे से रहते थे। दिनेश के बाद संतोष किसके पास गई उसे पता नहीं। उसके बाद संतोष किराये से रहती थी उसका भरण-पोषण भी वे लोग ही करते थे। उन्हें पता चला कि संतोष को बहला फुसला कर कोई मुसलमान ले गया जो उदयपुर व जयपुर ले गया उसके बाद वह बांसवाडा आ गई और बांसवाडा रहती थी। दीपावली के दिन उनके घर आई तथा उनके घर पर ग्वारफली की सब्जी के साथ रोटी खाई थी व उसकी पत्नी लक्ष्मी को बताया कि उसका पति मुसलमान उसके साथ मारपीट करता है और दूसरी शादी करने का कहता है और उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है उसके बाद उसके घर से संतोष चली गई। उनको 4 माह अथवा 4 दिन बाद पुलिस वालों ने थाने में बुलाया और उनका डीएनए टेस्ट किया तब पता चला कि संतोष की हत्या हो गई है।

39- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने प्रकट किया कि उसकी बहन सलुम्बर से राजीखुशी आई थी तथा बांसवाडा आने के बाद सलुम्बर नहीं गई। संतोष किसके साथ भागी व कहां रह रही है यह उसे नहीं बताया उसके घर के सबको पता था कि संतोष किसी व्यक्ति के साथ भाग गई है। गवाह ने स्वीकार किया कि संतोष के घर से भागने के बाद उसकी हत्या हो गई, उसके बीच में क्या हुआ उसे नहीं पता। गवाह ने स्वत: प्रकट किया कि मरने के पहले दीपावली के दिन संतोष घर पर आई थी और खाना खाया था। गवाह ने स्वीकार किया कि सोनु द्वारा उसे छोड दिया है वह साल भर से अलग रह रही है ऐसा उसकी पत्नी को संतोष ने बताया था। गवाह ने स्वीकार किया कि उनकी बहन एक मुस्लिम लडके के साथ भागी थी इस वजह से समाज में उनकी इज्जत खराब हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि उस बात को लेकर संतोष की हत्या उन्होंने कर दी हो और सामने से जाकर पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट दी हो। गवाह ने स्वत: प्रकट किया कि पुलिस ने उनको लाश के फोटो बताये थे और पुलिस ने उनका डीएनए टेस्ट करवाया था। उसका खून अस्पताल में लिया गया था।

40- गवाह पी.डब्ल्यू.15 अली असगर ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि आज से करीब डेढ साल पहले उसके मामा श्वसुर जाकीर हुसैन टाटीवाला का रतलाम रोड पर मकान है। मकान मालिक उसके मामा श्वसुर है जो कुवैत रहते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उक्त मकान किराये पर देने का काम

उसका था। उसने उक्त मकान जाकीर मुंशी को किराये पर दिया था जाकीर मुंशी ने कहा था कि उसका दोस्त है जो टैक्सी ड्राईवर है जो अपनी फेमिली के साथ रहेगा। उसने 2500/- मासिक किराये पर दिया था लेकिन वह लोग रूके नहीं है वहां पर अकेली औरत ही किराये पर रह रही थी। किराया मांगने पर कहा कि उनका दोस्त टैक्सी ड्राईवर बाहर है आने पर दे देगा। दो दिन तक किराया नहीं दिया उसके बाद मुंशी ने कहा कि वह औरत चली गई। उसे पता नहीं कि उस औरत के साथ क्या हुआ। बाद में उसे थाने पर बुलाकर बताया गया कि उस औरत का मर्डर हो गया था।

41- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उपरोक्त मकान जाकीर मुंशी के कहने पर ही जाकीर बोहरे ने मकान किराये पर दिया था, उसने किरायेदार को नहीं देखा। गवाह ने स्वीकार किया कि उक्त किरायेदार के बारे में जानकारी जाकीर मुंशी को है तथा किराये का लेन-देन जाकीर मुंशी से ही था।

42- गवाह पी.डब्ल्यू.16 इलियास ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि उसकी बेटी हिना का निकाह आम्बावाडी निवासी मोहसीन से कराया था जो नशा करता था इस कारण उसकी बेटी उसके साथ नहीं रहती थी तथा वर्तमान में हीना उसके घर पर ही रह रही है। वह हाजिर अदालत मुल्जिम परवेज को नहीं पहचानता है। उसकी बेटी हिना का निकाह उससे नहीं कराया है।

43- यह गवाह पक्षद्रोही रहा है तथा बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि मोहसीन से उसकी बेटी का तलाक होने पर दुसरा निकाल परवेज से हुआ हो। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि परवेज ने उसे संतोष के साथ तलाक वाला कोई स्टाम्प दिया हो तथा पुलिस ने उससे स्टाम्प जप्त किया हो। फर्द जप्ती स्टाम्प प्रदर्श पी-16 पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि स्टाम्प प्रदर्श पी-17 वही स्टाम्प है जो परवेज ने उसे दिया और उस स्टाम्प को उसने पुलिस को दिया हो। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि परवेज उसका जमाई हो। गवाह को पुलिस बयान प्रदर्श पी-18 का ए से बी भाग पढकर सुनाये जाने पर गवाह ने इसे लिखवाये जाने से इंकार किया है।

44- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह परवेज को नहीं जानता तथा उसकी बेटी के रिश्ते की बात परवेज नाम के आदमी से नहीं चल रही है। वह टेम्पों की आर सी गुम होने के कारण थाने पर गया तब पुलिस ने उसे बुलाकर हस्ताक्षर करा लिये थे। कागजों को पढकर नहीं सुनाया ।

45- गवाह पी.डब्ल्यू.17 अब्दुल बहाव ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी पब्लिक है दिनांक

12.09.2017 को परवेज पुत्र शरीफ निवासी सरगडावाडा बांसवाडा का उसके पास एक टाईपशुदा 50 रूपये का स्टाम्प लेकर आया था जिसे उसने नोटरी कर परवेज खान के हस्ताक्षर प्रमाणित किये थे। शपथ पत्र प्रदर्श पी-17 पर उसके व परवेज के हस्ताक्षर है। उक्त शपथ पत्र उसने अपने रजिस्टर के क्रमांक 5405 पर दिनांक 12.09.2017 को दर्ज किया था असल रजिस्टर प्रदर्श पी-19 पर ए से बी परवेज खान के हस्ताक्षर है तथा रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी-19ए है जिस पर भी परवेज खान के हस्ताक्षर हैं।

46- गवाह पी.डब्ल्यू.18 निलेश ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि कितने समय पहले की बात है उसे नहीं पता। वह कॉलेज से अपने घर जा रहा था तो अस्पताल के पास पीछे मुर्दाघर के वहां पुलिस ने उसे बुलाकर उसके हस्ताक्षर कराये थे किस बात के हस्ताक्षर कराये पता नहीं।

47- यह गवाह पक्षद्रोही रहा है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि पुलिस ने उसके सामने किसी अज्ञात महिला की लाश का पंचायतनामा लाश बनाया हो । गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-04 पंचायतनामा लाश पर आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं।

48- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह स्वीकार किया कि उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। कागज में क्या लिखा पता नहीं उसे पढकर नहीं सुनाया। उसने लाश को नहीं देखा।

49- गवाह पी.डब्ल्यू.19 फिरोज ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि उसके समक्ष पुलिस ने टवेरा गाडी की कोई जप्ती नहीं की।

50- यह गवाह पक्षद्रोही रहा है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि पुलिस ने उसके समक्ष टवेरा गाडी रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे.14 युबी 8125 जप्त की हो। गवाह ने स्वीकार किया कि फर्द जप्ती टवेरा गाडी प्रदर्श पी-20 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

51- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-20 पर उसके हस्ताक्षर थाने में कराये जो कोरे कागज पर कराये नहीं बताया कि किस बात के करा रहे हैं। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके सामने पुलिस ने कोई भी गाडी बरामद नहीं कराई थी।

52- गवाह पी.डब्ल्यू.20 मोहम्मद रफीक ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह फेजान अली को पहचानता है जो उसके मोहल्ले का है। पुलिस ने उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की।

53- यह गवाह पक्षद्रोही रहा है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि पुलिस ने उसके समक्ष टवेरा गाडी

रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे.14 युबी 8125 फेजान अली से जप्त की हो । गवाह ने स्वीकार किया कि फर्द जप्ती टवेरा गाडी प्रदर्श पी-20 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

54- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-20 पर उसके हस्ताक्षर थाने में करवाये। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके हस्ताक्षर कोरे कागज पर कराये थे और नहीं बताया कि किस बात के करा रहे हैं। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके सामने पुलिस ने कोई भी गाडी बरामद नहीं कराई थी ।

55- गवाह पी.डब्ल्यू.21 लक्ष्मणसिंह ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह नोटरी पब्लिक का कार्य करता है। दिनांक 12.05.2015 को एक 100/- रूपये के स्टाम्प पर टाईपशुदा हलफनामा बाबत स्वीकारोक्ति बयान श्रीमती अनिता पुत्री जगदीश चिकलीघर निवासी अंबामाता के पीछे ने उसके समक्ष पेश किया था। अनिला की पहचान श्री शरीफ पुत्र नवाब खान ने की थी। उक्त हलफनामा उसने तस्दीक कर रजिस्टर के क्रम संख्या 17817 पर दर्ज किया था जिसकी प्रति प्रदर्श पी-21 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

56- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उक्त स्टाम्प आज पत्रावली पर नहीं है। गवाह ने प्रकट किया कि अनिता की मृत्यु हुई हो तो उसे नहीं पता। गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उससे किसी महिला की लाश की शिनाख्तगी नहीं कराई ।

57- गवाह पी.डब्ल्यू.22 श्रीमती जुली ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि मृतका संतोष उसकी बहिन थी जिसका पहला विवाह बडौदा करवाया था उसके पति की मौत हो जाने से उसकी दूसरी शादी सलुम्बर निवासी दिनेश से करवाई थी। दोनों पति पत्नी ठीक-ठाक रहते थे थोडा बहुत विवाद चलता था। उसके पश्चात उसकी बहिन संतोष का सोनु मुसलमान से संबंध हो गया था दोनों साथ-साथ रहते थे । उसे संतोष ने फोन कर बताया था कि सोनु भी उसे ठीक नहीं रखता है और प्रताडित करता है। उसकी सोनु से भी एक दो बार फोन पर बात हुई थी व उसको भी समझाया था कि तुम संतोष को अच्छा रखो। उसके बाद उसकी बहिन गायब हो गई तथा उसे पुलिस से सूचना मिली जिस पर वह बांसवाडा आई थी और उसकी बहन की लाश को पहचाना था। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है।

58- यह गवाह पक्षद्रोही रही है। अभियोजन पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने स्वयं के पुलिस बयान होना तथा प्रदर्श पी-22 पुलिस बयान का ए से बी भाग सही लिखा होना प्रकट किया। स्वत: प्रकट किया कि उस वक्त उसके पास उक्त मेमोरी में रिकॉर्डिंग भी थी।

59- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उसे पुलिस द्वारा जानकारी देने पर पता चला कि संतोष सोनु ऊर्फ परवेज के साथ निवास करती थी और उसके साथ घटना घटी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिस वालों के बतानेसे पहले उसे सोनु ऊर्फ परवेज के बारे में जानकारी नहीं थी।

60- गवाह पी.डब्ल्यू.23 फेजान अली ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 14 युबी 8125 अवेरा गाडी उसकी है। करीब 06 वर्ष पूर्व पुलिस ने उसकी उक्त टेवरा गाडी जरिये फर्द प्रदर्श पी-20 जप्त की थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उससे परवेज रात को टवेरा मांगकर ले गया था और उसने बताया था कि फेमिली को उदयपुर शिफ्ट करना है इसलिए गाडी चाहिए जिस पर उसने दी थी। बाद में उसे पुलिस ने थाने पर बुलाया था। बाद में उसे पता चला कि परवेज ने उक्त गाडी घटना में प्रयुक्त की थी।

61- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उसने अपनी गाडी में किसी महिला को बैठते हुए नहीं देखा था। गवाह ने स्वीकार किया कि परवेज गाडी चलाकर नहीं ले गया था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसे थाने में बैठा रखा था तथा पुलिस का प्रेशर आने पर चक्कर आ गये थे। गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिस उसके घर से गाडी उठाकर ले गई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता।

62- गवाह पी.डब्ल्यू.24 इकबाल हुसैन ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि दिनांक 04.11.2017 को पुलिस थाना कोतवाली द्वारा समाई माता घाटोल पर फोटोग्राफी हेतु बुलाया था। वह समई माता घटनास्थल पर पहुँचा जहां जली हुई लाश जो महिला की थी जो पडी हुई थी। पुलिस के निर्देशानुसार घटनास्थल पर जली हुई लाश व घटनास्थल की फोटोग्राफ प्रदर्श पी-21 लगायत प्रदर्शपी-23 उसके द्वारा खींचे गये । बाद में उक्त लाश को एमजी अस्पताल मोर्चरी में लाया गया जहां पर पुलिस के निर्देश पर उसके द्वारा उक्त लाश को फोटोग्राफ प्रदर्शपी-24 लगायत प्रदर्श पी-28 खींचे गये उक्त फोटोग्राफ प्रदर्श पी-21 लगायत प्रदर्श पी-28 तक पर उसके हस्ताक्षर व मुहर अंकित है। उसके द्वारा पुलिस को दिया गया बिल प्रदर्श पी-29 पर उसके हस्ताक्षर व सील तथा फोटोग्राफ की गई थी जिसकी सीडी आर्टिकल ए01 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व मुहर है। दिनांक 05.03.2018 को सीटी कोतवाली में एक वाहन के फोटोग्राफ पुलिस के निर्देश पर उसके द्वारा खींचे गये थे जो प्रदर्श पी-30 लगायत प्रदर्श पी-37 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर मय मुहर है।

63- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि वाहन के फोटोग्राफ खींचे गये है वह थाना परिसर में खींचे थे तथा गाडी के अन्दर के फोटो नहीं

लिये। गवाह ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर जली हुई लाश के अलावा और कोई चीज उसने मौके पर नहीं खींची थी।

64- गवाह पी.डब्ल्यू.25 रमेशचन्द्र ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 28.11.2017 को पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा में आरक्षी के पद पर तैनात था। उस दिन मालखाना इन्चार्ज ने उसे चार सीलचीट अवस्था में बंद पैकेट्स विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जमा कराने बाबत दिये थे जिन्हे लेकर वह जिला पुलिस अधीक्षक बांसवाडा के कार्यालय आया तथा अग्रेषण पत्र तैयार करवाया वहां से अग्रेषण पत्र मय चारो सीलचीट बंद अवस्था में पैकेट्स व कागजात लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर पहुँच उक्त चारो सीलचीट बंद पैकेट्स मय कागजात के जमा करवाये। बाद जमा प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिसे लेकर वह कोतवाली थाने पहुँचा और उक्त प्राप्ति रसीद मालखाना इन्चार्ज को सुपुर्द की। थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा का अग्रेषध पत्र प्रदर्श पी-38 तथा जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा जारीशुदा अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-39 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

65- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-39 कहीं परभी कम्प्यूटर पर निकाला जा सकता है। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि प्रदर्श पी-39 में डिस्पेज नंबर लिखकर एजइटइज निकल सकता हो,स्वत: प्रकट किया कि प्रदर्श पी-39 में डिस्पेज नंबर डायरी में लिखे होते हैं। गवाह ने स्वीकार किया कि अलग से उपरोक्त कागज पर डिस्पेच नंबर लिखे हुए है, कम्प्युटर से प्रिंट नहीं किये हुए हैं। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि वह जयपुर नहीं गया हो और थाने पर बैठकर कागज तैयार किये हो।

66- गवाह पी.डब्ल्यू.26 डॉ. रवि उपाध्याय ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि दिनांक 04.11.2017 को वह महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर नियुक्त था उस दिन पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ था जो प्रदर्श पी-05 है जिस पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें उसके अलावा डॉ. राजेन्द्र लढढा सदस्य थे जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर तथा ई से एफ भाग में बोर्ड गठन का आदेश है। उक्त पत्र में एक अज्ञात शव की जांच करनी थी जिसे दिनांक 06.11.2017 को किया गया था क्योंकि शव अज्ञात था व उसकी शिनाख्तगी के लिए दो दिन का समय दिया गया। दिनांक 06.11.2017 को बोर्ड द्वारा उक्त शव का परीक्षण किया गया जिसमें बाह्रय परीक्षण में पाया कि उक्त शव के शरीर में जननांग व दाहिनी तरफ का पैर का हिस्सा नहीं था तथा उक्त शव के स्तन भी नहीं थे तथा शव पूर्ण रूप से क्षत-विक्षत हो रखा था तथा उसकी बोडी

डिकम्पोस्ड हो रही थी उसके शरीर पर लम्बे बाल सर पर थे उसके शव पर केरोसिन की स्मेल आ रही थी तथा पूरा शरीर जला हुआ था। उक्त जलने के निशान मृत्यु पश्चात के थे जो कि उसके जलने के घाव में सूजन नहीं होना माना गया। परीक्षण के वक्त उसकी जुबान भी निकली हुई थी। उसके सिर का हिस्सा डिकम्पोस्ड हो रहा था व छाती के आन्तरिक परीक्षण में उसकी लेरिंग्स व श्वास नली कन्जस्टर्ड थी तथा उसके दोनों फेफडे भी डिकम्पोस्ड (प्यूटरीफिकेशन) हो रहा था। पेट के आन्तरिक परीक्षण में पाया कि उसके पेट में गर्भाशय मौजूद था तथा उसके मुँह में जुबान बाहर की ओर थी तथा अन्य अंग प्यूट्रीफाइड हो रहे थे। बाद शव परीक्षण मेडिकल बोर्ड की राय में मृतक की मृत्यु परीक्षण से दो तीन दिन के भीतर होना पाया। मृतक का शरीर महिला का था जो कि उसमें उसके गर्भाशय के मिलने व अन्य अंगों की जांच करने पर महिला शरीर होना निर्णय पर पहुँचे। महिला की उम्र 30-35 वर्ष के मध्य पाई गई। मृतका के शरीर परजलने के निशान मृत्यु पश्चात के थे। मृतका के शरीर से डीएनए जांच हेतु एफएसएल जांच हेतु नमूने लिये जिन्हें सीलचिट कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। पोस्ट मार्टम के वक्त मृत्यु का निश्चित कारण ज्ञात नहीं हआ। शव परीक्षण रिपोर्ट बनाई जो प्रदर्श पी-06 है जिस पर उसके व डॉ. राजेन्द्र लढ़्ढा के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 24.11.2017 को पुलिस थाना कोतवाली से जो पत्र प्राप्त हुआ था जो प्रदर्श पी-07 है जिसमें मृतक अज्ञात महिला की मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए कहा गया जिस पर मेडिकल बोर्ड की राय चाही गई थी जिस पर उनके द्वारा राय दी गई जो ई से एफ भाग में अंकित है तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर व जी से एच डॉ. राजेन्द्र लढ़्ढा के हस्ताक्षर है। उक्त राय में उन्हे पोस्ट मार्टम की जांच करने पर इस निर्णय पर पहुँचे कि मृतका की मृत्यु की वजह दम घुटने के परिणामस्वरूप मृत्यु होना पाया क्योंकि उसके गर्दन में लेरिंग्स व ट्रेकिया कन्जस्टर्ड थे व परीक्षण के वक्त उसकी जुबान मुँह के बाहर की ओर निकली हुई थी।

67- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि डीएनए का अग्रेषण पत्र पत्रावली पर मौजूद नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने डीएनए की जांच कराने बाबत अनुसंषा की थी लेकिन वह पत्र न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। डीएनए का सेम्पल के बाबत प्रदर्श पी-06 में ई से एफ भाग में अंकित है।

68- गवाह पी.डब्ल्यू.27 तुलसीराम ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25.11.2017 को थाना कोतवाली बांसवाडा में पुलिस उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 494/2017 अन्तर्गत धारा 302,201, भारतीय दण्ड संहिता जो कि श्री लक्ष्मीलाल सहायक उप

निरीक्षक के प्रार्थना पत्र पर श्री गोविन्दसिंह राजपुरोहित तात्कालीन थानाधिकारी द्वारा पंजीकृत की गई थी और इसका अनुसंधान उसके जिम्मे हुआ था। टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 तथा चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-10 पर ए से बी लक्ष्मीनारायण व थानाधिकारी गोविन्दसिंह के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27.11.2017 को प्रार्थीया श्रीमती शांता की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि मृतका श्रीमती संतोष उसकी पुत्री ही है और प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी-40 है जिस पर शांता का एक्स स्थान पर अंगुठा व ए से बी उसका पृष्ठांकन होकर उसके हस्ताक्षर हैं। श्रीमती शांता एवं हितेश को एम.जी.अस्पताल बांसवाडा में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पास भिजवाया गया जिन्होंने मामले में मृतका श्रीमती संतोष सिगलीघर के पोस्ट मार्टम के समय पहचान बाबत लिए गए आर्टिकल फिमर बॉन, बाल, खून नमूना के साथ श्रीमती शांता व हितेश के रक्त नमूना लिया जाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण बाबत नियमानुसार सीलचिट करवा प्राप्त किए जो दिनांक 28.11.2017 को जरिए प्रदर्श पी-38के विशेष वाहक के साथ पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा के माध्यम से भिजवाए गए जो थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-38 पर ए से बी थानाधिकारी गोविन्दसिंह के हस्ताक्षर है। जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-39 पर ए से बी वाहक आरक्षी रमेशचन्द्र के हस्ताक्षर तथा सी से डी उसका शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में प्रदर्श जमा कराने के बाद प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-41 है जिस पर उसका शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर उसके हस्ताक्षर है। डीएनए रिपोर्ट प्रदर्शपी-42 है जो कि 03 पृष्ठों में प्राप्त हुई जिसके अनुसार मृतका संतोष श्रीमती शांता की पुत्री व हितेश की बहन होना पाया दिनांक 13.02.2018 को अभियुक्त साबिर ऊर्फ नाया व उसके साथ परवेज ऊर्फ सोनू को क्रमश: जरिये फर्द प्रदर्श पी-43 व प्रदर्श पी-44 पर अभियुक्त, उसके व मौतबिरान के हस्ताक्षर है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण परवेज ऊर्फ सोनु एवं साबिर ऊर्फ नाया ने स्वेच्छया अलग-अलग दिन उसे दोनों ने मिलकर टवेरा वाहन में हत्या की और जंगल में लाश जलाई बताने बाबत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचनाएं दी थी जो प्रदर्श पी-45 व प्रदर्श पी-46 पर उसके, आरोपी के हस्ताक्षर है। फर्द सूचना के मुताबिक दोनों अभियुक्तगण द्वारा जहां मृतका संतोष को जलाया गया था उस स्थान की तस्दीक जरिए फर्द करवाई जो प्रदर्श पी-14 है जिस पर उसके, मौतबिरान व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर है। अभियुक्त परवेज के द्वारा दिनांक 16.02.2018 को एक अन्य फर्द सूचना अन्तर्गत धारा 27, साक्ष्य अधिनियम के तहत दर्ज कराई कि उसने अपने साथी अभियुक्त के साथ मिलकर श्रीमती संतोष की हत्या की वह स्थान व संतोष का घरेलू सामान चलकर बरामद करवा सकता

है। सूचना प्रदर्श पी-47 है जिस पर एक्स स्थान पर परवेज की अंगुठा निशानी व हस्ताक्षर तथा ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त परवेज के द्वारा दी गई फर्द सूचना पर ही मृतका श्रीमती संतोष का घरेलू सामान जरिये फर्द प्रदर्श पी-13 बरामद किया गया जिस पर परवेज का अंगुठा, उसके व गवाहान के हस्ताक्षर हैं। इस प्रदर्श में बरामदगीस्थल का रेखाचित्र भी बनाया गया है। अभियुक्त परवेज के द्वारा दिनांक 16.02.2018 को एक अन्य फर्द सूचना दी जो प्रदर्श पी-48 है जो नियमानुसार सूचीबद्ध की गई जिस पर आरोपी व उसके हस्ताक्षर है। यह सूचना घटना में प्रयुक्त वाहन के बारे में थी। दिनांक 04.03.2018 को घटना में प्रयुक्त घटना में प्रयुक्त वाहन टवेरा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे.14 यू.बी. 8125 को जरिये फर्द जप्त किया जो प्रदर्श पी-20 है जिस पर गवाहान,वाहन मालिक व उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा वाहन का विधि विज्ञान प्रयोगशाला जिला बांसवाडा प्रभारी के द्वारा निरीक्षण करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया जो प्रदर्श पी-49 पर उसके व मोबाईल फोरेंसिक साईंस यूनिक जिला बांसवाडा के प्रभारी के द्वारा प्रकरण में जप्त वाहन टवेरा का निरीक्षण कर रिपोर्ट व वाहन के पांच फोटोग्राफ्स पेश किये थे जो प्रदर्श पी-50 तीन पृष्ठों में व फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-51 लगायत प्रदर्श पी-55 है जिन्हें उसके द्वारा शामिल पत्रावली किया गया था एवं उक्त प्रदर्शों पर उसके शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर उसके हस्ताक्षर है। ईलियास ऊर्फ रियाज के द्वारा एक प्रार्थना पत्र के रूप में स्टाम्प 50 रूपया जिसमें आरोपी परवेज के द्वारा अनिता ऊर्फ संतोष मृतका के साथ रहने और उससे एक पुत्र आयु करीब 19 माह होने की स्वीकारोक्ति का प्रस्तुत किया जो जिये फर्द प्रदर्श पी-16 के जप्त किया था जिस पर ईलियास, मौतबिरान व उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा शपथ पत्र प्रदर्श पी-17 है जिसके पृष्ठ भाग पर उसका पृष्ठांकन व हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में जप्त किया गया वाहन टवेरा का मालिक फैजान होकर उसके द्वारा जप्ती के समय वाहन खरीदने संबंधी इकरार पत्र एवं विक्रय पत्र की छाया प्रति भी प्रस्तुत की जो संलग्न पत्रावली है। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद उसने नियमानुसार थाना प्रभारी शैतानसिंह नाथावत को पत्रावली प्रस्तुत की थी जिनके द्वारा नियमानुसार आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया था । उसके अनुसंधान से मामले में गिरफ्तार शुदा दोनों अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302, 201, भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया गया था।

69- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि उसके द्वारा इस मामले का अनुसंधान प्रारंभ किया इसके पूर्व अनुसंधान की जानकारी नहीं ली गई हो,गवाह ने स्वत: प्रकट किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ तत्संबंधी दर्ज हुए मर्ग कार्यवाही के दस्तावेज थे। उसने मृतका व उसके भाई

हितेश की घटना से कुछ दिन पूर्व बात होने बाबत कॉल डिटेल व टावर लोकेशन नहीं निकाली। गवाह ने स्वीकार किया कि किसी अपराधी को मोबाईल लोकेशन के आधार पर संदिग्ध नहीं ठहराया जा सकता स्वतः प्रकट किया कि प्रकरण में अन्य साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही हुई है। गवाह ने स्वीकार किया कि जरीकेन खरीदने, डीजल भरवाने या किसी मार्ग से वापस बांसवाडा पहुँचने के बारे में अनुसंधान नहीं किया, गवाह ने स्वतः प्रकट किया कि यह सारी बाते अभियुक्तों द्वारा पूछताछ नोट में बताई गई बात के आधार पर लिखी गई है। गवाह ने स्वीकार किया कि बांसवाडा से उदयपुर जाते-आते वाहन का फूटेज अथवा टोल संबंधी साक्ष्य नहीं है वह इस संबंधी अनुसंधान नहीं किया गया। गवाह ने स्वीकार किया कि पहली बार जब वह आरोपीगण की फर्द सूचना कि साथ घटनास्थल पर गया था उस समय गाडी के आयरो के निशान नहीं थे और ना ही घटना को समर्थन देने वाले अवशेष मिले। गवाह ने स्वीकार किया कि गवाह ने अपने बयान में बताया है कि परवेज ने संतोष को छोड दिया था स्वतः प्रकट किया कि उसने किराए के मकान पर छोडने की बात लिखाई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-17 में लिखी गई ईबारत संतोष द्वारा अन्य किसी के साथ शादी करने वाली बात लिखी गई है, गवाह ने स्वतः प्रकट किया कि इस पर मृतका संतोष की सहमति नहीं है, यह दस्तावेज स्वयं परवेज द्वारा निर्मित किया हुआ है। गवाह ने स्वीकार किया कि घटना में जप्त वाहन में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

70- गवाह पी.डब्ल्यू.28 बलवन्तसिंह ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि दिनांक 04.11.2017 को प्रभारी मोबाईल फोरेन्सिक युनिट बांसवाडा के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली से दूरभाष से प्राप्त सूचना के आधार पर एक अज्ञात महिला की लाश का निरीक्षण अनुसंधान अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में करवाया गया। मृतका के फोटोग्राफ उसके स्वयं द्वारा लिये गये। घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट मय 03 फोटोग्राफ उसके द्वारा दिनांक 17.11.2017 को थानाधिकारी को प्रेषित की गई थी रिपोर्ट का प्रेषण पत्र प्रदर्श पी-56 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं तथा कार्यालय की सील अंकित है। फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-58 लगायत प्रदर्श पी-60 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान अधिकारी के आवश्यकतानुसार घटना से संबंधित वाहन का निरीक्षण दिनांक 25.03.2018 को कोतवाली थाना परिसर में किया गया। वाहन की फोटोग्राफी उसके स्वयं द्वारा की गई। वाहन निरीक्षण रिपोर्ट मय 05 फोटोग्राफ्स थानाधिकारी को दिनांक 04.04.2018 को प्रेषित की गई। रिपोर्ट का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-50 तीन पृष्ठों में जिस पर सी से डी उसके

हस्ताक्षसर मय कार्यालय की सील अंकित है। वाहन निरीक्षण रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर मय कार्यालय सील अंकित है। फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-51 लगायत प्रदर्श पी-55 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर मय कार्यालय सील अंकित है। अनुसंधान अधिकारी को दी गई सलाह दोनों निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित है।

71- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि जहां लाश पाई गई थी, वहां उसके द्वारा घटनास्थल निरीक्षण नहीं किया गया था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसे वाहन की जांच के दौरान उसे घटना से संबंधित साक्ष्य नहीं दिखा। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा उपरोक्त वाहन से किसी प्रकार का कोई फिंगरप्रिन्ट नहीं लिया गया था स्वतः प्रकट किया कि वह फिंगरप्रिंट लेने के लिए अधिकृत नहीं था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके समक्ष पुलिस के किसी भी अधिकारी ने फिंगरप्रिंट संबंधित साक्ष्य नहीं लिये थे।

72- गवाह पी.डब्ल्यू.29 गोविन्दसिंह राजपुरोहित ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25.11.2017 को पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 मय मर्ग संख्या 26/2017 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता की पत्रावली श्री लक्ष्मीनारायण एएसआई ने थाने में उपस्थित होकर उसे पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 302,201, भारतीय दण्ड संहिता के वकूवे में आना पाए जाने से उसके द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान श्री तुलसीराम उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली के जिम्मे किया गया। टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 पर प्रार्थी के हस्ताक्षर,कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन व उसके हस्ताक्षर हैं। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-10 पर प्रार्थी व उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 28.11.2017 को उक्त प्रकरण में जप्तशुदा आर्टीकल 04 सीलचिट पैकेट्स को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाने बाबत उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा के नाम अग्रेषण पत्र भिजवाया गया था जो प्रदर्श पी-38 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

73- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि वह प्रकरण पंजीबद्ध होने से पूर्व मौके पर गया था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा डीएनए सेम्पल नहीं लिया गया।

74- गवाह पी.डब्ल्यू.30 श्रीमती राधा ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि दिनांक 04.11.2017 को पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थी। उस दिन लक्ष्मीनारायण एएसआई पदस्थापित सूरजपोल चौकी पर हाजिर होकर एक रिपोर्ट पेश की जिसका अवलोकन करने पर उसने पाया कि लाश सडी गली होकर पहचान नहीं होने एवं अकाल मृत्यु होना

पाया जाने से मर्ग संख्या 26/2017 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दर्ज कर जांच श्री लक्ष्मीनारायण एएसआई के जिम्मे की गई। मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है जिस पर उसके कार्यवाही का पृष्ठांकन होकर उसके हस्ताक्षर है।

75- बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह ने स्वीकार किया कि उसने उसकी उपस्थिति में लाश व उसके आस-पास के स्थान की कोई फोटोग्राफी नहीं करवाई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि पोस्ट मार्टम होने तक अस्पताल में थी परन्तु उसके समक्ष कोई भी डी.एन.ए. सेम्पल नहीं लिया गया था।

76- प्रकरण के निस्तारणार्थ निम्न विचारणीय बिन्दु बनाया गया –

> ''कि अभियुक्तगण ने दिनांक 31.10.2017 से पूर्व किसी समय पर किसी स्थान पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर श्रीमती संतोष ऊर्फ आयशा (मृतका) की हत्या करने की योजना बनाई व आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए आपराधिक षडयंत्र रचा एवं दिनांक 31.10.2017 को रात्रि में किसी समय पर मौजा बांसवाडा में स्थित समाईमाता जंगल के क्षेत्र में उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्त के साथ मिलकर श्रीमती संतोष ऊर्फ आयशा (मृतका) की, उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी तथा मृतका श्रीमती संतोष ऊर्फ आयशा की हत्या करने के उपरान्त उस अपराध के वैध दण्ड से बचने के लिए साक्ष्य को विलोपित करने के आशय से उसके सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्त के साथ मिलकर मृतका की लाश पर डीजल डालकर जला दिया ?''

77- दौराने बहस विद्वान लोक अभियोजक ने न्यायालय से निवेदन किया कि अभियोजन द्वारा अपने इस प्रकरण को साबित करने के लिए कुल 30 गवाहान के बयान कराये गए हैं एवं दस्तावेजात के रूप में कुल 60 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए हैं। उनका निवेदन है कि अभियुक्त परवेज की मृतका श्रीमती संतोष पत्नी थी तथा जैविक परीक्षण से जो सडी-गली लाश की बरामदगी हुई है उससे वह संतोष की होना पाया गया है। मामले में जो साक्ष्य पत्रावली पर संकलित की गई है उससे अभियुक्त परवेज द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर मृतका श्रीमती संतोष का गला घोटकर उसकी हत्या कारना तथा तत्पश्चात उसकी लाश को समाईमाता के जंगल में डीजल डालकर जलाया जाना चिकित्सकीय साक्ष्य से प्रमाणित है। अभियुक्त की निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक व घटना में प्रयुक्त गाडी बरामद की गई है तथा परवेज को गाडी किराये पर दिया जाना वाहन स्वामी द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसे में परिस्थितिजन्य की श्रृंखलाबद्ध साक्ष्य की कडिया

एक दूसरे से मिलती हुई अभियुक्त परवेज द्वारा सह अभियुक्त साथ मिलकर श्रीमती संतोष की हत्या करने एवं उसके पश्चात उसकी लाश को जला देने के तथ्य को साबित करती है। गवाहान ने श्रीमती संतोष की अभियुक्त परवेज से अनबन होने बाबत साक्ष्य दी है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संगीन है। ऐसी स्थिति में उन्हें कानूनन रूप से कडी-से-कडी सजा दिए जाने का निवेदन किया।

78- इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान विद्वान लोक अभियोजक की बहस का विरोध करते हुए न्यायालय से निवेदन किया कि मृतका संतोष के परिजनों के द्वारा उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई, प्रकरण में बरामदगी व घटनास्थल तस्दीक के गवाह पक्षद्रोही रहे है तथा उनके द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त परवेज को अपराध से जोडने वाली कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है तथा परवेज का मृतका संतोष से घटना से पूर्व तलाक हो चुका था। मृतका श्रीमती संतोष का डीएनए जांच हेतु सेम्पल नहीं लिया गया तथा माता-बेटे शांता व हितेश का सेम्पल लेकर उसी की जांच करवा ली गई। प्रकरण में लक्ष्मीनारायण के द्वारा मर्ग में जांच की गई है तथा उसके पश्चात अनुसंधान करने वाले अनुसंधान अधिकारी को साक्ष्य में पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। बचाव में गवाहान ने जिरह में स्वीकार किया है कि उसके घर पर लोगों का आना-जाना था तथा लडाई झगडा होता रहता था ऐसे में उसे किसी अन्य के द्वारा मार दिये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण के गवाहान मृतका श्रीमती संतोष के परिवार के होकर हितबद्ध गवाहान है तथा अन्य गवाहान ने विरोधाभासी साक्ष्य दी है। प्रकरण में बरामदगी के गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए है तथा उनके द्वारा फर्दों पर थाने में हस्ताक्षर करना तथा उसमें क्या लिखा है पता नहीं होना कथन किया है। मृतका श्रीमती संतोष के डीएनए जांच हेतु सेम्पल लिये जाने में भी गवाहान के बयानों में विरोधाभासी साक्ष्य आई है ऐसे में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-42 को सही नहीं माना जा सकता। अभियुक्त परवेज द्वारा मृतका संतोष को उदयपुर ले जाना बताया गया है लेकिन इस संबंध में कोई टोल टैक्स की रसीद, टोल नाका के फूटेज तथा मार्ग में होटल पर रूकने बाबत कोई रसीद प्राप्त नहीं की है तथा न ही इस संबंध में अनुसंधान ही किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त परवेज के विरूद्ध अभियोजन जो कहानी लेकर आया है वह कतई संदेह से परे साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पर जो न्यायालय द्वारा आरोप गठित किए गए है उनसे दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

79- लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन, मनन किया जाकर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार से है -

80- हस्तगत मामले में न्यायालय को सर्व प्रथम यह देखना है कि प्रकरण में जो लाश सडी-गली व शिनाख्तगी योग्य नहीं पाई गई थी वह लाश मृतका श्रीमती संतोष की ही थी तथा क्या मृतका श्रीमती संतोष की हत्या करने के उपरान्त उसकी लाश को जला दिया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत पी.डब्ल्यू.07 रामलाल ने कथन किया कि समाईमाता घाटी पर बदबु आ रही थी जिस पर वह तथा गांव के लोग मौके पर गये तो अज्ञात लाश पडी थी जो पहचानने लायक नहीं थे। उसने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 दी। पुलिस ने उसके सामने एक चाबी व एक लेगी को जप्त किया जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी-03 व पंचायतनामा लाश पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस संबंध गवाह पी.डब्ल्यू.08 लक्ष्मण ने कथन किया है कि उसे किसी व्यक्ति ने फोन कर बताया कि समाईमाता मंदिर के घाटी पर किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश है तथा बदबु आ रही है एवं अधजली है। पुलिस ने लेगी व चाबी का छल्ला जप्त कर नक्शा मौका प्रदर्श पी-02, फर्द जप्ती प्रदर्श पी-03 तथा पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी-04 बनाये थे जिन पर उसके हस्ताक्षर है। इस पर मर्ग रिपोर्ट दर्ज किये जाने के उपरान्त मृतका श्रीमती संतोष की लाश का पोस्ट मार्टम करवाया गया जिसमें चिकित्साधिकारी पी.डब्ल्यू.26 डॉ. रवि उपाध्याय के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा बाद पोस्ट मार्टम लाश महिला की होना तथा उसकी मृत्यु दम घुटने से होना पाया गया जिस पर जांच में पी.डब्ल्यू.02 लक्ष्मीनारायण द्वारा मामले को हत्या एवं तत्पश्चात हत्या की साक्ष्य को मिटाने हेतु लाश को जलाये जाने का पाये जाने पर धारा 302,201, भारतीय दण्ड संहिता का प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 पी.डब्ल्यू.02 लक्ष्मीनारायण एएसआई चौकी सूरजपोल के द्वारा दर्ज करवाई गई। मामले में बरामद लाश के संबंध में अखबार में साया किया जाने पर मृतका श्रीमती संतोष के परिजनों द्वारा लाश को अपनी पुत्री संतोष की होने बाबत प्रकट किये जाने पर मृतका श्रीमती संतोष के पोस्ट मार्टम के दौरान लिये गये नमूनों हड्डी,बाल व अन्य की जांच हेतु मृतका श्रीमती संतोष की माता पी.डब्ल्यू.13 श्रीमती शांता के खून के नमूने लिये जाना पी.डब्ल्यू.13 द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है तथा गवाह पी.डब्ल्यू.26 डॉ. रवि उपाध्याय के द्वारा भी अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मृतका के शरीर के डीएनए जांच हेतु एफएसएल जांच हेतु नमूने लिये जिन्हें सीलचीट कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि मृतका की मृत्यु की वजह दम घुटने का परिणाम

था क्योंकि उसके गर्दन में लेरिग्स व ट्रेकिया कन्जस्टर्ड थे व परीक्षण के वक्त उसकी जुबान मुँह से बाहर की ओर निकली हुई थी। इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसका शरीर जला हुआ था तथा जलने के निशान मृत्यु पश्चात के थे जो कि उसके जलने के घाव में सूजन नहीं होने से माना गया। गवाह पी.डब्ल्यू.27 तुलसीराम ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि श्रीमती शांता व हितेश को एम.जी. अस्पताल बांसवाडा में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पास भिजवाया गया जिनके द्वारा मामले में मृतका श्रीमती संतोष चिकलीघर के पोस्ट मार्टम के समय पहचान बाबत लिए गए आर्टिकल फिमर बॉन, बाल, खून नमूना के साथ श्रीमती शांता व हितेश के रक्त नमूना लिवाया जाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण बाबत नियमानुसार सीलचिट करवा कर प्राप्त किये जो दिनांक 28.11.2017 को जरिये प्रदर्श पी-38 के विशेष वाहक के साथ पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा के माध्यम से भिजवाये गये। इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू.25 रमेशचन्द्र के द्वारा साक्ष्य दी है कि उसके द्वारा दिनांक 28.11.2017 को आरक्षी पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा के पद पर रहते हुए मालखाना इन्चार्ज से 04 सीलचीट अवस्था में बंद पैकेट प्राप्त किये गये तथा पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर उन्हें सीलचिट बंद पेकेट्स मय कागजात के विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जमा करवा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। नमूना जमा की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-41 प्रदर्शित हुई है जिसके संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू.27 तुलसीराम द्वारा शामिल पत्रावली किया जाना तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होना प्रकट किया गया है। इस संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-42 का अवलोकन किया जावे तो उसमें यह अंकित किया गया है कि प्रदर्श सं.01 मृतक की अस्थि और 2 मृतक के बाल से प्राप्त महिला डीएनए प्रोफाईल का स्त्रोत प्रदर्श सं.3 रक्त नमूना शांता चिकलीगर से प्राप्त डीएनए प्रोफाईल के स्त्रोत से जैविक रूप से परीक्षण किये जाने पर संबंधित पाया गया। इस प्रकार प्रदर्श पी-42 विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट को ऊपर वर्णित अन्य साक्ष्य के परिपेक्ष्य में देखा जावे तो मृतका श्रीमती संतोष का डीएनए तथा गवाह पी.डब्ल्यू.13 श्रीमती शांता जो कि मृतका श्रीमती संतोष की माता बताई गई है उसका डीएनए समान प्रकृति का पाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि जो लाश सडी-गली अर्द्धजली अवस्था में बरामद की गई वह मृतका श्रीमती संतोष की थी तथा जिस प्रकार की साक्ष्य ऊपर आई है उससे यह भी प्रमाणित है कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई एवं उसके उपरान्त लाश को जंगल में ले जाकर जला दिया गया।

81- जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क का प्रश्न है कि डीएनए सेम्पल मां श्रीमती शांता एवं बेटा हितेश का लेकर भेज दिया गया तथा मृतका श्रीमती संतोष का डीएनए सेम्पल नहीं लिया गया। इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू.26 डॉ. रवि उपाध्याय ने कथन किया है कि मृतका के शरीर के डीएनए जांच हेतु एफएसएल जांच हेतु नमूने लिये जिन्हें सीलचीट कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। गवाह पी.डब्ल्यू.27 तुलसीराम ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि श्रीमती शांता व हितेश को एम.जी. अस्पताल बांसवाडा में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पास भिजवाया गया जिनके द्वारा मामले में मृतका श्रीमती संतोष चिकलीघर के पोस्ट मार्टम के समय पहचान बाबत लिए गए आर्टिकल फिमर बॉन, बाल, खून नमूना के साथ श्रीमती शांता व हितेश के रक्त नमूना लिवाया जाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण बाबत नियमानुसार सीलचिट करवा कर प्राप्त किये जो दिनांक 28.11.2017 को जरिये प्रदर्श पी-38 के विशेष वाहक के साथ पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा के माध्यम से भिजवाये गये। इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू.25 रमेशचन्द्र के द्वारा साक्ष्य दी है कि उसके द्वारा दिनांक 28.11.2017 को आरक्षी पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा के पद पर रहते हुए मालखाना इन्चार्ज से 04 सीलचीट अवस्था में बंद पैकेट प्राप्त किये गये तथा पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर उन्हें सीलचिट बंद पेकेट्स मय कागजात के विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जमा करवा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। नमूना जमा की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-41 प्रदर्शित हुई है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया जावे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि मृतका की हड्डी एवं बाल की जैविक जांच श्रीमती शांता के खून के लिए गए नमूनो से किये जाने पर डीएनए स्त्रोत समान पाये गये। ऐसे में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि मृतका महिला श्रीमती संतोष के डीएनए जांच हेतु सेम्पल नहीं लिये गये हो तथा श्रीमती शांता पी.डब्ल्यू.13 व हितेश पी.डब्ल्यू.14 के खून के नमूने लिये जाकर उन्हीं की जांच कर ली हो तथा मृतका के डीएनए के सेम्पल नहीं लिये गये हो। हस्तगत मामले में लक्ष्मीनारायण पी.डब्ल्यू.02 के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है तथा पी.डब्ल्यू.27 तुलसीराम द्वारा अनुसंधान किया गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि अनुसंधान अधिकारी साक्ष्य में पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया।

82- हस्तगत मामले में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा यह सम्पूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। ऐसे में न्यायालय को अब यह देखना है कि क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित कर

पाया है कि अभियुक्त परवेज ऊर्फ सोनू के द्वारा अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर मृतका श्रीमती संतोष की हत्या कर हत्या के उपरान्त उसकी लाश को जला दिया।

83- इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू.13 श्रीमती शांता परीक्षित हुई है जो कि मृतका श्रीमती संतोष की माता है। उसने कथन किया है कि मृतका संतोष का नातरा दिनेश के साथ सलुम्बर में करवाया था। दिनेश के पास से संतोष किसके पास गई पता नहीं। उसकी बेटा बहु लक्ष्मी के ऊपर संतोष का फोन आया था कि संतोष का अपहरण परवेज ऊर्फ सोनी ने कर लिया है। करने के पहले दीपावली के बाद भाई दूज पर वह उसकी बेटा बहु लक्ष्मी के पास आई थी तथा उसकी बहु ने ग्वारफली की सब्जी बनाई वह उसने खाई तथा संतोष लक्ष्मी को कह गई थी कि वह आये या नहीं कोई भरोसा नहीं है। उसके 04 माह 04 दिन बाद अखबार में आया कि संतोष मर गई है। पुलिस वाले आये तथा उसका खून लिया। उसकी लडकी को किसने मारा उसे पता नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसकी बेटी उसके घर सलुम्बर से भागकर आई थी उसके बाद उसकी मृत्यु की खबर तक उनके बीच में कोई संबंध एवं सम्पर्क नहीं रहा। संतोष की लक्ष्मी से बात हुई थी। इस गवाह ने जिरह में कथन किया है कि उसने अपने बयानों में पुलिस को यह बताया था कि परवेज व उसकी बेटी संतोष के बीच में साल भर से कोई संबंध नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि दोनों के साथ में नहीं रहने की बात दीपावली पर वह उसके घर पर आई तब उसकी बहु को संतोष ने बताई थी। इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू.14 हितेश जो कि मृतका का भाई है का कथन रहा है कि संतोष का नातरा दिनेश के साथ सलुम्बर में करवाया था। सलुम्बर से बांसवाडा उनके पास आ गई तथा उनके घर रही। दिनेश के बाद संतोष किसके पास गई उसे नहीं पता। संतोष किराये से रहती थी तथा उसका भरण-पोषण वे करते थे। उन्हें पता चला कि संतोष को बहला-फुसला कर कोई मुसलमान ले गया उसका नाम उसे नहीं पता। दीपावली के दिन वह उनके घर आई तथा उनके घर ग्वारफली की सब्जी के साथ रोटी खाई तथा उसके बाद लक्ष्मी को बताया कि मुसलमान उसके साथ मारपीट करता है और दूसरी शादी करने का कहता है तथा उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। उसके बाद संतोष उसके घर से चली गई। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में उसके सलुम्बर वाले जीयाजी दिनेश व उसकी बहिन साथ में बांसवाडा में घर में रहते थे। उसकी बहिन व जियाजी कमरा किराया लेकर रहते थे। जियाजी साथ में नहीं रहते थे तब वे संतोष का सारा खर्चा करते थे। उसके घर में सबको पता था भी संतोष किसी व्यक्ति के साथ भाग गई है। संतोष

के घर से भागने के बाद उसकी हत्या हो गई उसके बीच में क्या हुआ उसे पता नहीं है। दीपावली पर संतोष उसके घर आई तब उसकी संतोष से कोई बात नहीं हुई। गवाह ने स्वीकार किया कि सोनु द्वारा उसे छोड दिया गया है तथा वह सालभर से अलग रह रही है ऐसा उसकी पत्नी को संतोष ने बताया था। गवाह पी.डब्ल्यू.22 श्रीमती जुली जो कि मृतका श्रीमती संतोष की बहन है। इस गवाह ने कथन किया कि उसकी बहन संतोष का सोनु मुसलमान से संबंध हो गया था दोनों साथ-साथ रहते थे। उसे संतोष ने फोन कर बताया था कि सोनु भी उसे ठीक नहीं रखता है तथा प्रताडित करता है। उसकी सोनु से एक-दो बार फोन पर बात हुई थी और उसे समझाया था कि तुम संतोष को अच्छा रखो। उसके बाद उसकी बहन गायब हो गई। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उसे पुलिस द्वारा जानकारी देने पर पता चला कि संतोष सोनु ऊर्फ परवेश के साथ निवास करती थी और उसके साथ घटना घटी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिस वालों के बताने से पहले उसे सोनु ऊर्फ परवेज के बारे में जानकारी नहीं थी। इस प्रकार से मृतका श्रीमती संतोष के उक्त रक्त संबंधी गवाहान माता पी.डब्ल्यू.13 श्रीमती शांता, भाई पी.डब्ल्यू.14 हितेश तथा बहन पी.डब्ल्यू.22 श्रीमती जुली की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो पी.डब्ल्यू.13 श्रीमती शांता ने बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में स्वीकार किया है कि एक वर्ष से सोनू व श्रीमती संतोष के मध्य कोई संबंध नहीं थे, पी.डब्ल्यू.14 हितेश ने कथन किया है कि संतोष के घर से भागने के बाद उसकी हत्या हो गई उसके बीच में क्या हुआ उसे पता नहीं है। दीपावली पर संतोष उसके घर आई तब उसकी संतोष से कोई बात नहीं हुई। गवाह ने स्वीकार किया कि सोनु द्वारा उसे छोड दिया गया है तथा वह सालभर से अलग रह रही है ऐसा उसकी पत्नी को संतोष ने बताया था तथा पी.डब्ल्यू.22 श्रीमती जुली तो घटना के पश्चात पुलिस द्वारा उसे बताये जाने पर घटना की जानकारी होना कथन करती है। गवाह पी.डब्ल्यू. 17 श्री अब्दुल रजाक ने कथन किया है कि दिनांक 12.09.2017 को परवेज उसके पास एक टाईपशुदा 50 रूपये का स्टाम्प लेकर आया जिस पर नोटरी कर परवेज खान के हस्ताक्षर प्रमाणित किये थे शपथ पत्र प्रदर्श पी-17 पर ए से बी उसके व सी से डी परवेज खान के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी-17 का अवलोकन किया जावे तो इसमें अभियुक्त परवेज खान द्वारा अनिता ऊर्फ संतोष के साथ 03 वर्ष पूर्व निकाह होना तथा कुछ समय से उसे छोडकर कही अन्य जगह निकाल कर लिया जाना तथा उससे उसका कोई संबंध नहीं होना अंकित करवाया है यद्यपि इस पर मृतका श्रीमती संतोष के हस्ताक्षर नहीं है लेकिन ऊपर वर्णित मृतका के निकटस्थ रक्त संबंधी माता,भाई व बहन की साक्ष्य के परिपेक्ष्य में

प्रदर्श पी-17 का अवलोकन किया जावे तो यह प्रतीत होता है कि मृतका श्रीमती संतोष अभियुक्त परवेज से साल भर से अलग रहती थी जो साक्ष्य ऊपर वर्णित तीनों गवाह द्वारा दी गई है उससे तथा प्रदर्श पी-17 का अवलोकन किया जावे तो प्रथमदृष्टया यह प्रकट नहीं होता है कि वक्त घटना मृतका श्रीमती संतोष अभियुक्त परवेज ऊर्फ सोनु के साथ रह रही हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू.03 जाकीर ऊर्फ मुंशी ने परवेज को मकान किराये पर दिये जाने से इंकार किया है तथा मृतका की बहन को मकान किराये पर दिया जाना कथन किया है। गवाह ने जिरह में यह भी कथन किया है कि संतोष की बहन को जानता है जो ठीकरिया में रहती थी व उसकी शादी सुरत में करवाई थी। संतोष उपरोक्त मकान में 5-6 महिने रही परन्तु परवेज के नाम के किसी भी व्यक्ति को उसने वहां पर आते जाते नहीं देखा। गवाह पी.डब्ल्यू.15 अली असगर ने अपने मामा श्वसुर का मकान जाकीर मुंशी को दिया जाता तथा जाकीर मुंशी द्वारा टेक्सी ड्राईवर व उसकी फेमेली का साथ रहना बताया है लेकिन वहां पर उन लोगों का नहीं रूकना व अकेली औरत ही किराये पर रहना कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू.04 नारायणलाल ने जाकीर के मकान में किराये पर रहना तथा किराया जाकीर ऊर्फ मुंशी को देना एवं उसके कमरे के पास एक लडकी का रहना जिसका नाम संतोष होना कथन किया है। इस गवाह ने वहां लोगों का आना जाना व चिल्लाया करना कथन किया है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने के उपरान्त अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि संतोष ने उसे कहा हो कि परवेज ने उसे औरत बनाकर रखी है तथा परवेज नाम के किसी व्यक्ति का वहां आना जाना हो तथा एक रात को एक बजे कमरे पर आया तब परवेज मुसलमान के साथ एक आदमी ओर उसके कमरे के नीचे टवेरा गाडी में बैठा हो। वे दोनों सारा सामान टेवरा में ले गये हो तथा संतोष को भी गाडी में बैठाकर ले गये हो। इस प्रकार से इस गवाह ने यह प्रकट किया है कि संतोष उसके कमरे के पास अकेली किराये पर रहती थी तथा लोगों का आना जाना था लेकिन उसके द्वारा परवेज को वहां पर आते हुए नहीं देखा। इसके अतिरिक्त मामले में मृतका श्रीमती संतोष द्वारा जिस लक्ष्मी के साथ बातचित किया जाना तथा उससे श्रीमती शांता एवं हितेश को जानकारी होना बताया गया है। उस लक्ष्मी को अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में पेश कर परीक्षित भी नहीं करवाया गया है । इस प्रकार से उपरोक्तानुसार जो साक्ष्य पेश हुई है उससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि मृतका श्रीमती संतोष के साथ परवेज उक्त किराये के मकान में रहता हो तथा वे दोनों पति पत्नी के रूप में साथ में वहां पर रहते हो।

84- हस्तगत मामले में जप्त टवेरा आर.जे.14 युबी 8125 के पंजीकृत वाहन स्वामी फेजान अली को साक्ष्य में पेश किया गया है जिसने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि उससे परवेज रात को टवेरा मांगकर ले गया था और उसने बताया कि फेमिली को उदयपुर शिफ्ट करना है इसलिए गाडी चाहिए जिस पर उसने दी थी। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने उसकी गाडी में किसी महिला को बैठते हुए नहीं देखा तथा परवेज गाडी चलाकर नहीं ले गया। टवेरा गाडी की बरामदगी के गवाह पी.डब्ल्यू.19 फिरोज तथा पी.डब्ल्यू. 20 मोहम्मद रफीक न्यायालय में बतौर साक्षी परीक्षित हुए है लेकिन इन दोनों ही गवाहान के द्वारा पुलिस द्वारा उनके समक्ष जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी-20 टवेरा गाडी फेजान अली से जप्त किये जाने से इंकार किया है। यहां उल्लेखनीय है कि अभियुक्त परवेज का फेजान अली से टेवरा गाडी ले जाना बताया गया है लेकिन वह कौन सी दिनांक, समय पर उससे ली गई इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा उस गाडी से उदयपुर जाना बताया गया है लेकिन उदयपुर जाते समय रास्ते में आने वाले टोल नाका की कोई रसीद अथवा टोल नाका के कोई फूटेज ही अनुसंधान के दौरान प्राप्त किये गये है अन्यथा यह प्रकट होता कि उस टेवरा गाडी में कितने लोग सवार थे तथा वह कब व किस समय टोल नाके से गुजरी तथा फूटेज से यह भी जानकारी हो सकती थी कि उसमें कितनी सवारी बैठी हुई थी तथा कौन-कौन लोग बैठे हुए थे लेकिन इस संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया तथा न ही इस संबंध में कोई फूटेज ही प्राप्त किये गये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मौके से वाहन के टायरो के निशान की प्रिन्ट भी नहीं ली गई तथा यदि उक्त टवेरा के अन्दर किसी प्रकार का कोई अपराध किया गया था तो इस संबंध में संघर्ष स्वरूप वहां उपस्थित परिस्थितियां तथा न ही उस गाडी के अन्दर के फिंगर प्रिन्ट ही लिये गये तथा न ही उनकी फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ से जांच ही करवाई गई। ऐसे में यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि उक्त टवेरा गाडी में मृतका संतोष को रात्रि के समय उदयपुर ले जाया गया हो तथा वहां से घुमाते हुए पुनः बांसवाडा लाया गया हो एवं उस टेवरा में उसकी हत्या कर लाश को फेंककर जला दिया गया हो।

85- जहां तक अभियुक्त परवेज की सूचना पर किरायेशुदा कमरे से घरेलू सामान जरिये फर्द प्रदर्श पी 13 बरामद किये जाने एवं जरिये फर्द तस्दीक मौका प्रदर्श पी-14 के द्वारा अभियुक्त के द्वारा घटनास्थल की तस्दीक करवाये जाने का प्रश्न है। उक्त दोनों ही फर्दों के स्वतंत्र गवाहान के रूप में पी.डब्ल्यू.05 दीपक व्यास तथा पी.डब्ल्यू.06 सुन्दर परीक्षित हुए है तथा उक्त दोनों ही गवाहान ने अपने समक्ष पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने से इंकार किया है। इन गवाहान में से

गवाह पी.डब्ल्यू.05 दीपक व्यास ने गाडी का एक्सीडेन्ट होने पर थाने पर जाना तथा पुलिस द्वारा कुछ कागज पर हस्ताक्षर करवाया जाना तथा पी.डब्ल्यू.06 सुन्दर ने स्वयं का थाने में साफ सफाई के लिए जाना एवं हस्ताक्षर करवाया जाना कथन किया है। इन दोनों ही गवाहान ने पुलिस द्वारा उनके समक्ष कोई बरामदगी किये जाने तथा नक्शा मौका बनाये जाने से इंकार करते हुए स्पष्ट कथन किया है कि वे थाने पर किस कारण से गये थे तथा उनके हस्ताक्षर करवा लिये गये थे। ऐसे में अभियुक्त परवेज की सूचना पर जो घरेलू सामान की बरामदगी प्रदर्श पी-13 के जरिये करवाई गई है तथा फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी-14 बनाया गया है । उसे संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता तथा उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त परवेज के द्वारा अपनी सूचना के आधार पर जरिये फर्द प्रदर्श पी-13 घरेलू सामान किराये के मकान से बरामद करवाया हो जहां पर श्रीमती संतोष रहती थी तथा जहां पर अर्थजली लाश बरामद हुई उस स्थान की अभियुक्त परवेज के द्वारा कोई तस्दीक अपनी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर करवाई हो।

86- प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्ष्य का प्रश्न है तो वह मृतका श्रीमती संतोष की लाश की जप्ती, लाश की सुपुर्दगी, लाश की अंत्येष्टि, अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं किये गये अनुसंधान इत्यादि से संबंधित है जिसका ऊपर विवेचन किया जा चुका है एवं पुनः विवेचन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

87- इस प्रकार से पत्रावली पर आई साक्ष्य के ऊपर किये गये विवेचन से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि परवेज व श्रीमती संतोष का निकाह घटना के पूर्व तक अस्तित्व में रहा हो, घटना के पूर्व तक वह किराये के मकान में साथ-साथ रहते थे, अभियुक्त परवेज द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर मृतका श्रीमती संतोष को मारने का षडयंत्र करना, अंतिम बार देखे जाने के संबंध में, उसे अंतिम बार टेवरा गाडी में रात को ले जाया गया, अभियुक्त की सूचना पर किराये के मकान से सामान की बरामदगी, अभियुक्त परवेज द्वारा तस्दीक घटनास्थल आदि परिस्थितिजन्य को अभियोजन अभियुक्त परवेज के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है।

88- ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 31.10.2017 से पूर्व किसी समय पर किसी स्थान पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर श्रीमती संतोष ऊर्फ आयशा (मृतका) की हत्या करने की योजना बनाई व आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने

के लिए आपराधिक षडयंत्र रचा एवं दिनांक 31.10.2017 को रात्रि में किसी समय पर मौजा बांसवाडा में स्थित समाईमाता जंगल के क्षेत्र में उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्त के साथ मिलकर श्रीमती संतोष ऊर्फ आयशा (मृतका) की, उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी तथा मृतका श्रीमती संतोष ऊर्फ आयशा की हत्या करने के उपरान्त उस अपराध के वैध दण्ड से बचने के लिए साक्ष्य को विलोपित करने के आशय से उसके सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्त के साथ मिलकर मृतका श्रीमती संतोष की लाश पर डीजल डालकर जला दिया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त परवेज ऊर्फ सोनु पुत्र शरीफ खां को आरोपित अपराध धारा 120बी,302,302 सपठित धारा 34, 201, 201 सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

89- फलतः अभियुक्त परवेज ऊर्फ सोनू पुत्र शरीफ खान, उम्र 26 वर्ष, निवासी राजतलाब बांसवाड़ा, पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 120बी, 302,302 सपठित धारा 34, 201, 201 सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त परवेज ऊर्फ सोनु जमानत पर है। उसके न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है। अभियुक्त परवेज ऊर्फ सोनु धारा 437ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 06 माह तक प्रभावी रूपया 25000/- का स्वयं का मुचलका व इसी राशि की प्रतिभूति पेश कर तस्दीक करवावे।

90- प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत मृतका श्रीमती संतोष के परिजनों को प्रतिकर दिलाये जाने बाबत जिला विधिक सेवा प्राधिकार से अनुशंसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

91- मामले में अभियुक्त <u>साबीर ऊर्फ नाया मंसुरी पुत्र अनवर मंसुरी मफरूर है। अतः पत्रावली पर लालस्याही से नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली का कोई भाग जाया नहीं किया जावे।</u>

(अरूण कुमार अग्रवाल-1)
सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा

92- निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाक सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(अरूण कुमार अग्रवाल-1)
सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा